न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-83/2012

भागूराम पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी श्योसिंहपुरा तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

--अपीलान्ट---

---बनाम---

1- रामस्वरूप
2- मोहरसिंह
3- सरदाराराम

पुत्रगण स्व0 उदमीराम जाति जाट निवासी श्योसिंहपुरा तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

4- राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चिडावा जिला झुन्झुनू ।
5- श्रेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा डूलानिया जरिये शाखा प्रबन्धक ।
6- यूको बैंक शाखा पिलानी जरिये शाखा प्रबन्धक ।

--रेस्पोडेन्टस्--

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31-5-2011 द्वारा उप खण्ड अधिकारी चिडावा ।

--0--

उपस्थिति-

1-श्री राजेश पूनिया एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री गोरधनसिंह एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट
3-श्री महेशचन्द्र शर्मा एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट
4-श्री जगदीशप्रसाद सैन एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 30.4.18

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोंडेन्ट सं0-1 व 2 ने अदालत मातहत में एक दावा बाबत घोषणार्थ खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्योसिंहपुरा में स्थित आराजी गत खसरा नं0 47 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा, ख0नं0 55 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 87 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा, ख0नं0 50 रकबा 40 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 72 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा व ख0नं0 74 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल किता- 6 रकबा 83 बीघा 7 बिस्वा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पिता उदमीराम व उदमीराम के भाई सुरजा की संयुक्त खातेदारी की थी ।जिसमें 1/2, 1/2 हिस्सा दोनों भाईयों का है।इन्होने आपस में बंटवारा कर लिया जिसमें ख0नं0 50 रकबा 40 बीघा 7 बिस्वा व ख0नं0 74 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा उदमीराम के तथा शेष ख0नं0 47,55,72 व 87 सुरजाराम के हिस्से में रहे ।जिसके कारण सुरजाराम व उसके वारिसान को दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया ।उदमीराम का स्वर्गवास सम्वत 2035 से पूर्व हो चुका। जिसके बाद यह आराजी उदमीराम के वारिसो वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 व 2 को बराबर बराबर हिस्से में प्राप्त हुई ।जिसमें चारों का 1/4, 1/4 हिस्सा है ।

आराजी गत खसरा नं0-50 रकबा 40 बीघा 7 बिस्वा से हाल ख0नं0 91 रकबा 2.61 हैक्टर, ख0नं0 92 रकबा 3.47 हैक्टर, ख0नं0 93 रकबा 2.00 हैक्टर, ख0नं0 94 रकबा 2.13 हैक्टर कायम हुये तथा गत ख0नं0 74 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के हाल खसरा नं0 71 रकबा 0.04 हैक्टर, ख0नं0 72 रकबा 0.16 हैक्टर, ख0नं0 104 रकबा 0.20 हैक्टर, ख0नं0 198/72 रकबा 0.10 हैक्टर व खसरा नं0 199/104 रकबा 0.13 हैक्टर कायम हुये । वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 व 2 के मध्य कोई विभाजन नहीं हुआ सैटलमेन्ट विभाग ने बिना विभाजन के ही विभाजन कर रेकार्ड तैयार कर दिया जिससे पक्षकारों में कम अधिक भूमि दर्ज हो गई ।जिससे पक्षकारों में आये दिन झगडा रहता है ।अत: विवादित आराजी का विधिवत बंटवारा कर खाता बहिस्सा बराबर बराबर घोषित किया जावे।

अधिकारी एवं अधिकारी

अदालत मातहत ने बाद सुनवाई दिनांक 24-5-2010 को प्राथमिक डिक्री जारी की जिस पर विभाजन प्रस्ताव आने पर दिनांक 31-5-2011 को अन्तिम डिक्री जारी की गई ।इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है ।अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया । अदालत मातहत ने निर्णय से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता की कोई पालना न कर आदेश पारित किया गया है । अदालत मातहत में अपीलान्ट की कोई तामिल विधिनुसार नहीं करवाई गई ।अदालत मातहत ने अपीलान्ट की बिना तामिल हुये ही तामिल मानकर आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है । अपीलान्ट एवं सरदाराराम के नोटिस पुनः पेश करने के आदेश दिनांक 21-4-09 को दिये गये । इसके बाद कोई सम्मन तलबाना पेश नहीं किया और दिनांक 20-7-2009 को आदेशिका में आदेश कर दिया कि प्रतिवादी सं0-1 व 2 की तामिल हो चुकी ।अपीलान्ट की कोई तामिल नहीं हुई । अपीलान्ट की बिना तामिल के ही अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है । जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है । अपीलान्ट की तामिल आदेश-5 नियम-17 से 19 के मुताबिक नहीं हुई है । अदालत मातहत में रेस्पो0 ने दावा झुठा पेश किया है । विवादित आराजी पक्षकारान के मध्य मुताबिक बटवारा कब्जा बंटवारा हो चुका । रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को परेशान करने की नियत से यह दावा पेश किया है।जिसमें अपीलान्ट को बिना सुने आदेश पारित किया है ।अपीलान्ट ने यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है ।अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त निरस्त की जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोंडेन्ट को जरिये नोटिस तलब कि किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत ने अपीलान्ट को विधिनुसार नोटिस जारी न कर सूचना नहीं दी। अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया । विवादित आराजी का पक्षकारों के मध्य पूर्व में विभाजन हो चुका है । रेस्पोंडेन्ट ने यह दावा केवल अपीलान्ट को परेशान की नियत से झुठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है विभाजन प्रस्ताव भी अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में तैयार किये गये हैं ।योग्य अदालत मातहत ने दावे में सिविल प्रक्रिया संहिता की कोई पालना न कर आदेश पारित किया गया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोंडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत में अपीलान्ट की तामिल पर्याप्त रूप से हो चुकी है अदालत मातहत की आदेशीका दिनांक 20-7-2009 में प्रतिवादी सं0-1 व 2 की तामिल चस्पांदगी से हो चुकी इन्हे बारबार आवाज दिलाई गई । आवाज पर कोई हाजिर नहीं आने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है ।इसके बाद मौके पर तहसीलदारजी विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु मय पटवारी हल्का पहुचें प्रतिवादीगण को सूचना दी विभाजन प्रस्ताव के समय मौके पर मौजूद रहे है जो विभाजन प्रस्ताव में दर्ज किया है ।मौके पर कब्जा अनुसार आराजी का बंटवारा किया गया है। सबको समान रकबा दिया गया है ।राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा किया है जो कब्जा के अनुसार है ।अपीलान्ट के अलाव अन्य तीनों भाईयों को कोई ऐतराज नहीं है ।केवल अपीलान्ट अकेले ने ही यह अपील पेश की है जो कानून के विपरित की है ।अपील खारिज की जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन अपील अधिकारी

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । दिनांक 20-7-2009 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादीगण की तामिल हो चुकी। तामिल होने के बाद भी यह प्रकरण अदालत मातहत में लगभग 22 माह तक विचाराधीन रहा है । अदालत मातहत ने कोई जल्दबाजी में आदेश पारित नहीं किया है ।तहसीलदार ने बंटवारा प्रस्ताव मौके पर तैयार किये उस समय प्रतिवादीगण को सूचना देकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किये है। विभाजन प्रस्ताव में लिखा है "श्रीमानजी के आदेशानुसार दोनो पक्षकारान की उपस्थिती में मौके पर पंहुचा ।इस प्रकार अदालत मातहत में दावे की जानकारी प्रतिवादीगण को रही है ।प्रदर्श-12 जमाबन्दी सं0-2032 से 2035 में आराजी खनं047, 55, 87, 50, 72, 74 कुल किता-6 रकबा 83 बीघा 7 बिस्वा की खातेदारी उदमी सुरजा पिता गनेशा के नाम दर्ज है ।राजस्व रेकार्ड के अनुसार विवादित आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 3 के पिता की खातेदारी की दर्ज है । उदमीराम के देहान्त के बाद यह आराजीजमाबन्दी सं0-2064 से 2067 में चारो पुत्रों के नाम अलग अलग दर्ज की है जिसमें अपीलान्ट को हिस्से से अधिक अर्थात लगभग 0.98 हैक्टर भूमि अधिक दी गई है जिसका कोई आधार नहीं है । विवादित आराजी पैत्रिक है जो पिता उदमीराम से अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 3 को प्राप्त हुई है । जिसमें चारो पुत्रों का बरा बर बराबर हिस्सा है। किन्तु जमाबन्दी सं0- 2064 से 2067 में अपीलान्ट को लगभग 0.98 हैक्टर भूमि अधिक दी गई है जिसका कोई आधार दर्ज नहीं है ।अदालत मातहत ने मौके के भौतिक कब्जे के अनुसार चारों पुत्रो को समान हिस्से में कब्जानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये है जो इनकी मौजूदगी में तैयार कर भिजवाये है । जिसके आधार पर अदालत मातहत ने अपना निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं । अपील मियाद बाहर है किन्तु हम प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने से अपील को अन्दर मियाद शुमार करते है ।

अपील संख्या-84/2012 विवादित आराजी एवं इन्ही पक्षकारों के मध्य है जो प्रारम्भिक डिक्री है । उक्त दोनों अपीलों की बहस एक साथ की गई है। अतः इनका निर्णय भी एक साथ किया जा रहा है ।निर्णय की एक प्रति अपील संख्या-84/2012 में शामिल की जावे ।

उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी चिडावा का निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24-5-2010 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 31-5-2011 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 30.4.2018 को सुनाया गया ।

30/4/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर